एकीकृत पेंशन योजना (UPS)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 30 सितंबर, 2025 तक एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में स्विच करने का विकल्प दिया है। हालाँकि, इसे अपनाने की गति धीमी है तथा **23.94 लाख कर्मचारियों** में से अब तक केवल 40,000 ने ही UPS को चुना है।

एकीकृत पेंशन योजना (UPS) क्या है?

- **परिचय:** UPS की सिफारिश **टी.वी. सोमनाथन समिति (2023)** ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) की समीक्षा के लिये की थी। इसे अगस्त 2024 में घोषित किया गया और 1 अप्रैल, 2025 से NPS के अंतर्गत आने वाले **केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों** के लिये एक **वैकल्पिक पेंशन योजना** के रूप में लागू किया गया।
  - यह **सुनिश्चित, मुद्रास्फीति-सूचकांकित और पर्याप्त सेवानिवृत्ति लाभ** प्रदान करती है तथा दीर्घायु सुरक्षा तथा पेंशन पूर्वानुमान से संबंधित चिंताओं का समाधान करती है।
  - UPS का विनियमन पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा किया जाता है तथा यह कुछ विशेष शर्तों के अधीन, कार्यरत एवं सेवानिवृत्त दोनों कर्मचारियों के लिये उपलब्ध है।
- **पात्रता:**
  - 1 अप्रैल, 2025 को NPS के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारी।
  - 1 अप्रैल, 2025 को या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवा में शामिल होने वाले नए कर्मचारी।
  - ऐसे सेवानिवृत्त NPS ग्राहक, जो 31 मार्च, 2025 या उससे पहले अधिवर्षिता (Superannuation) अथवा सेवानिवृत्ति प्राप्त कर चुके हों और जिनकी न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा हो, बशर्ते कि सेवानिवृत्ति मौलिक नियम (FR) 56(j) के अंतर्गत दंड स्वरूप (Premature retirement) न हो।
  - मृत NPS ग्राहक के विधिक रूप से विवाहित जीवनसाथी (यदि ग्राहक UPS अपनाने से पहले सेवानिवृत्त हुआ हो)।
- **UPS के अंतर्गत अंशदान:**
  - **कर्मचारी अंशदान:** मूल वेतन + महँगाई भत्ते (DA) का 10%।
  - **सरकारी अंशदान:** मूल वेतन + महँगाई भत्ते (DA) का 10% (कर्मचारी अंशदान के बराबर)।
  - **अतिरिक्त सरकारी अंशदान (पूल कॉर्पस):** मूल वेतन + महँगाई भत्ते (DA) का लगभग 8.5%, जिसका उपयोग सुनिश्चित पेंशन भुगतान के लिये किया जाता है।
  - **PRAN (स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या):** सभी अंशदान और लेन-देन कर्मचारी के PRAN खाते में दर्ज किये जाते हैं।
- **UPS (यूनिफाइड पेंशन स्कीम) के तहत पूल कॉर्पस योगदान**
  - **इंडिविजुअल कॉर्पस (IC):** कर्मचारी और सरकार के योगदान से हुई वास्तविक बचत।
  बेंचमार्क कॉर्पस (BC): एक सांकेतिक राशि, जिसकी गणना नियमित अंशदान और कोई निकासी न होने की स्थिति में की जाती है।
- **UPS के अंतर्गत लाभ:**

एकीकृत पेंशन योजना (UPS)

- पर्याप्त सेवा वाले कर्मचारियों को **पिछले 12 महीनों की औसत वेतन का कम से कम 50%** का आश्वासित पेंशन मिलेगा।
- कम से कम 10 साल की सेवा वाले लोगों को **प्रति माह रु. 10,000 की न्यूनतम पेंशन** दी जाएगी।
- पति/पत्नी को **पेंशन का 60%** पारिवारिक पेंशन दी जाएगी।
- आश्वासित पेंशन, न्यूनतम पेंशन और पारिवारिक पेंशन पर **महंगाई राहत दी जाएगी।**
- इसके अतिरिक्त, **सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त राशि प्रदान की जाएगी।**
- **कर्मचारियों के योगदान में कोई वृद्धि नहीं होगी** लेकिन केंद्र सरकार अपना योगदान बढ़ाएगी।
- **जो लोग पहले से ही NPS के तहत सेवानिवृत्त हो चुके हैं**, वे भी इस लाभ के लिए पात्र होंगे।
- **ऐसे पूर्व सेवानिवृत्त लोगों को उनकी पहले से निकाली गई राशि को समायोजित करने के बाद** बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।

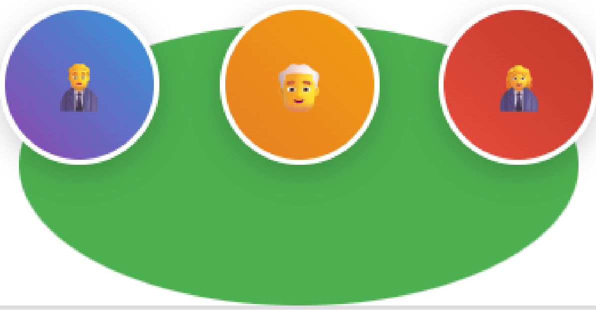

- **NPS और UPS**

पैरामीटर	NPS	UPS
प्रकृति	नए कर्मचारियों (2004 के बाद) के लयि अनविार्य	पात्र कर्मचारियों के लयि स्वैच्छकि
अंशदान	10% (कर्मचारी) + 14% (सरकार)	10% (कर्मचारी) + 10% (सरकार) + 8.5% (पूल कार्पस)
नश्चिति भुगतान	नहीं	हाँ (शर्तों के अधीन)
न्यूनतम पेंशन	नहीं	₹10,000/महीना
महँगाई राहत (DR)	नहीं	हाँ
अंतमि नकिासी	अधकितम 60% तक	अधकितम 60% तक
पारवारिकि लाभ	वार्षकिी पर नर्भिर	सदस्य के भुगतान का 60%
आंशकि नकिासी	हाँ	हाँ

क्या आप जानते हैं?

- केंद्र सरकार के **कर्मचारी जो वर्ष 2004 से पहले नियुक्त** किये गए थे, वे **पुरानी पेंशन योजना (OPS)** के तहत आते थे, जिसमें नश्चिति पेंशन मलिती थी, जबकि वर्ष 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को **बाज़ार-आधारति अनविार्य NPS** में शामलि किया गया है।
- कई कर्मचारी अब भी **पुरानी पेंशन योजना (OPS)** की वापसी की मांग करते हैं, क्योंकि यह अधकि सुरक्षा प्रदान करती है और इसमें कर्मचारी का कोई **अंशदान** नहीं होता।
- **केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS)**, जिसे **कर्मचारी भवष्यि नधि संगठन (EPFO)** द्वारा लागू किया गया है, पेंशनभोगियों को देशभर में किसी भी बैंक या शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। यह भुगतान प्रक्रिया को सरल बनाता है, भौतिक सत्यापन की आवश्यकता को समाप्त करता है और पेंशन की तुरंत जमा सुनिश्चिति करता है।
- **अटल पेंशन योजना (APY)** की शुरुआत **वर्ष 2015** में की गई थी, जिसका उद्देश्य सभी भारतीयों, विशेषकर गरीबों, वंचितों और असंगठति क्षेत्र के श्रमिकों के लिये एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली तैयार करना है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

??????????

प्रश्न. निम्नलिखिति में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में शामलि हो सकता है? (2017)

(a) केवल निवासी भारतीय नागरिक
(b) केवल 21 से 55 वर्ष की आयु के व्यक्ति
(c) अधिसूचना की तारीख के बाद सेवाओं में शामलि होने वाले सभी राज्य सरकार के कर्मचारी तथा संबंधति राज्य की सरकारों द्वारा अधिसूचना किये जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आये हैं
(d) सशस्त्र बलों सहति केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी, जो 1 अप्रैल, 2004 या उसके बाद सेवाओं में शामलि हुए हैं

उत्तर: (c)

प्रश्न. 'अटल पेंशन योजना' के संबंध में निम्नलिखिति कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2016)

1. यह मुख्य रूप से असंगठति क्षेत्र के श्रमिकों पर लक्षति एक न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन योजना है
2. एक परिवार का एक ही सदस्य इस योजना में शामलि हो सकता है
3. यह ग्राहक की मृत्यु के बाद जीवनभर के लिये पति या पत्नी हेतु समान राशि की पेंशन गारंटी है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)